

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/39/2017

प्रवेश तिथि

20-04-2017

निर्णय दिनांक

16-05-2018

01- कैलाश पुत्र तोताराम

02- कल्लू पुत्र बाबू जाति खटीक निवासी ग्राम पूठी तहसील रामगढ जिला अलवर

—: अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर।

—: रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ

दिनांक 02.03.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0

राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 180/2017

—:निर्णय:—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 02.03.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम पूठी की सरकारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1209 रकबा 4.19 है0 में से 1.00 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ज्य सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

पत्रावली में लम्बे अरसे से अधि0 अपीलांट अनुपस्थित चल रहे हैं। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधि0 अपीलांट को बार-बार अवसर देने के उपरांत भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। आज भी अधि0 अपीलांट को बार-बार आवाज लगवायी गयी। बावजूद भी अधि0 अपीलांट अनुपस्थित है। जिससे साफ जाहिर होता है कि अधि0 उपस्थित होकर पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः आज भी अधि0 अपीलांट तथा स्वयं अपीलांट के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। चूंकि विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में निवेदन किया है कि ग्राम पूठी की सरकारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1209 रकबा 4.19 है0 में से 1.00 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 06.02.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित होता है अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र दिनांक 20.04.2017 में कब्जा छोड़ना बताया गया है, जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 13.10.2017 अनुसार अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है तथा कब्जा नहीं छोड़ा है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.3.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16-05-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)